

महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या-675/2026/001-comp no. 2002766

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2026

विषय: - वित्तीय वर्ष **2025-26** में नगर निगम अयोध्या में विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या के पत्र संख्या-2435/न०नि०अयो०/25-26, दिनांक 10.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम अयोध्या में नगर निगम अयोध्या द्वारा कराये जाने वाले 02 परियोजना हेतु धनराशि रु 1502.29 लाख का बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन व वाराणसी में विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या में कराये जाने वाले निम्न 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रु 478.76 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष एक किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि रु **478.76 लाख (रूपये चार करोड़ अठहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र)** अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

क्र०सं०	परियोजना का विवरण	नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित लागत (रु लाख में)	पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (रु लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि (रु लाख में)
1	2	3	4	5
1	पुराने अयोध्या धाम जोनल कार्यालय पर श्रद्धालु सुविधा केन्द्र/आश्रय स्थल का निर्माण कार्य	517.00	478.76	478.76
	योग-	517.00	478.76	478.76

(i) उक्त स्वीकृतियों वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।

(ii) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर पर जनपद अयोध्या, मथुरा एवं वाराणसी में पर्यटको/श्रद्धालुओं के सुविधाओं हेतु विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु अनुदान के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट

नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी। शासन द्वारा परियोजना/निकायवार प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निकायों को धनराशि आवंटित की जायेगी।

(iii) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा संबंधित नगर आयुक्त को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(iv) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(v) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं वित्त (आप-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत में उल्लिखित निर्देशों एवं शर्तों के अधीन ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र, शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नगर आयुक्त की होगी तथा संबंधित नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(vii) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत

शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(viii) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(x) संबंधित नगर आयुक्त, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(xi) संबंधित नगर आयुक्त द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय कीयिरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(xii) संबंधित नगर निकाय द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

(xiii) विषयगत योजना हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने नगर निगम से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यों का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या का होगा।

(xiv) उक्त मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले परियोजनाओं के चयन, निविदा, क्रियान्वयन एवं पूर्ण होने के रिकॉर्ड, सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा संरक्षित किये जायेंगे तथा संबंधित नगर आयुक्त द्वारा वार्षिक ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रु 4,78,76,000 लाख (रुपये चार करोड़ अठहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001900 जनपद अयोध्या, मथुरा एवं वाराणसी में पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधाओं हेतु विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु मानक मद 35

पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, मार्च 2025 के प्रस्तर-2 (10) (क) में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से]

Digitally signed by
Rajeshwari Prasad Vishwakarma
Date: 23-02-2026 19:17:54

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-/2026/001-comp no. 2002766, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3-जिलाधिकारी अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (शहरी) लखनऊ।
- 6-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ०प्र० लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
- 10- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।